न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 25/2022

श्री कमलेश कुमार चंदेल पुत्र श्री छीतर लाल निवासी बनवाडा, तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू जिला--टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 18.07.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू जिला–टोंक को ऑन–लाईन आवेदन पत्र दिनांक 19–04–2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

ग्राम बनवाडा, तहसील पीपलू जिला टोंक के पटवार हल्का बनवाडा के ग्राम बनवाडा, के वर्तमान खसरा संख्या, 820/3, 1087/1762, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1143, 1144, 1154, 1158, 1181, 1190, 1191/1, 1191/2, 1331, 1556, 1727, 1728/1, 1728/2, 1729/1, 1729/2, 1730, 1735/1, 1735/2, 1737 की सेटलमेंट से पहले व सेटलमेंट से लेकर वर्तमान में खातेदारक काश्तकार की प्रमाणित नकलों की एक–एक छायाप्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू जिला–टोंक को पत्र किमांक 657 दिनांक 23–6–2022 व 678 दिनांक 4.07.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू द्वारा पत्र कमांक 3880 दिनांक 08–07–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही [illegible] मेन्ट से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की प्रतियां, कार्यालय हाजा में [illegible] उपलब्ध नही करवाया जा सकी है। अपीलार्थी को [illegible]मेन्ट से बाद [illegible] राजस्व रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त करने हेतु उनके पत्र कमांक 3179 दिनांक 23.6.2022 द्वारा अपीलान्ट को सू[illegible] किया है। अपीलान्ट को सूचना प्राप्त करने हेतु कई बा[illegible] दूरभाष पर भी सूचित किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर नकले प्राप्त नही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

गई। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:29 IST
Reason: SelfAttested